न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 753 सन 2022

अनवान :–

1. गुरदिता पुत्र सुखदेवसिह जाति जटसिख निवासी सोती पडिहारी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. नाजरसिह पुत्र मुकन्दसिह जाति जटसिख निवासी सोती पडिहारी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादीगण

3. बुटासिह पुत्र सुखदेवसिह जाति जटसिख निवासी सोती पडिहारी तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 30/09/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 160/146 की कुल 6.0720हैक में से 1/24 हिस्सा , तथा रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 141/141 की कुल 6.5780हैक में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा चक 14 बारानी के खाता संख्या 39/35 की कुल 11.6380हैक में से 4849/116380हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज मुकनसिह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद उनके पुत्र सुखदेवसिह व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई सुखदेवसिह के देहान्त होने पर उनके पुत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज हुई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 एव प्रतिवादी संख्या 1 ही परिवार के सदस्य है जिन्होने आपसी सहमति से भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 तथा प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा में पंजाब की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने रखी एवं राजस्थान की वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से में आई वादी/प्रतिवादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने अपने हक हिस्सा की भूमि का बाहमी बटवारा के अनुसार हक त्याग किया हुआ है वादी एव प्रतिवादीगण अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही हे जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्थान की वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी प्रतिवादी संख्या 3 एव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आपसी सहमति से काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किये गये बाहमी बटवारा के अनुसार वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करता रहा अन्त मे इन्कार हो गया इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी /प्रतिवादी संख्या 3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 जो एक ही परिवार के सदस्य है जिनके मध्य सिचाई सविाा को ध्यान में रखते हुए किये गये बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी /प्रतिवादी संख्या 3 तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पुर्वज मुकनसिह के नाम से दर्ज थी मुकनसिह एव उसके पुत्र सुखदेवसिह के देहान्त होने के वाद भूमि वादी /प्रतिवादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,3 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी भूमियो को बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें पंजाब की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई जो उसके कब्जा काश्त में है तथा वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 को प्राप्त हुई थी जो उसके कब्जा काश्त में है जिसे वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 160/146 की कुल 6.0720हैक में से 1/24 हिस्सा , तथा रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 141/141 की कुल 6.5780हैक में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा चक 14 बारानी के खाता संख्या 39/35 की कुल 11.6380हैक में से 4849/116380हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज मुकनसिह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद उनके पुत्र सुखदेवसिह व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई सुखदेवसिह के देहान्त होने पर उनके पुत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज हुई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 एव प्रतिवादी संख्या 1 ही परिवार के सदस्य है जिन्होने आपसी सहमति से भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 तथा प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा में पंजाब की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने रखी एवं राजस्थान की वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से में आई वादी/प्रतिवादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने अपने हक हिस्सा की भूमि का बाहमी बटवारा के अनुसार हक त्याग किया हुआ है वादी एव प्रतिवादीगण अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही हे जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्थान की वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 160/146 की कुल 6.0720हैक में से 1/24 हिस्सा , तथा रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 141/141 की कुल 6.5780हैक में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा चक 14 बारानी के खाता संख्या 39/35 की कुल 11.6380हैक में से 4849/116380हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज मुकनसिह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद उनके पुत्र सुखदेवसिह व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई सुखदेवसिह के देहान्त होने पर उनके पुत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज हुई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 एव प्रतिवादी संख्या 1 ही परिवार के सदस्य है जिन्होने आपसी सहमति से भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 तथा प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा में पंजाब की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने रखी एवं राजस्थान की वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से में आई वादी/प्रतिवादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने अपने हक हिस्सा की भूमि का बाहमी बटवारा के अनुसार हक त्याग किया हुआ है वादी एव प्रतिवादीगण अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एव प्रतिवादी सख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य काश्त की सूविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा किया गया उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 160/146 की कुल 6.0720हैक में से 1/24 हिस्सा , तथा रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 141/141 की कुल 6.5780हैक में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा चक 14 बारानी के खाता संख्या 39/35 की कुल 11.6380हैक में से 4849/116380हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 30/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. गुरदिता पुत्र सुखदेवसिह जाति जटसिख निवासी सोती पडिहारी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 नाजरसिह पुत्र मुकन्दसिह जाति जटसिख निवासी सोती पडिहारी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादीगण

3. बुटासिह पुत्र सुखदेवसिह जाति जटसिख निवासी सोती पडिहारी तहसील नोहर

तरतीयी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 753 सन 2022 निर्णय दिनांक– 30/09/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 160/146 की कुल 6.0720हैक में से 1/24 हिस्सा , तथा रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 141/141 की कुल 6.5780हैक में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा चक 14 बारानी के खाता संख्या 39/35 की कुल 11.6380हैक में से 4849/116380हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/09/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner